न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 12/2019 (राजस्व अपील)

GCMS NO : 2019/00028

अनवान

1. श्री दला पिता धुला दादा मेगा डांगी, निवासी बाणा कला, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री कालु पिता धुला दादा मेगा डांगी, निवासी बाणा कला, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री पेमा पिता धुला दादा मेगा डांगी, निवासी बाणा कला, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री कन्हैयालाल पिता दला पटेल निवासी बाणा कला, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री आलोक कुमार जैन, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध प्र.सं. 01/2019 न्यायालय तहसीलदार सराड़ा आदेश दिनांक 24.07.2019

* निर्णय *

दिनांक — 24-11-2020

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने इस न्यायालय में अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि अपीलान्ट संख्या 1 से 3 व उसके सगे भाई नंगा पिता दला है एवं उनकी मोरूसी भूमि मौजा बाणा कला, तहसील सराड़ा मे स्थित थी, जिसके साबिक आराजी संख्या 568 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि (0.9830 हेक्टेयर) होकर मेवाड़ राज्य मे श्री खेमा, पेमा पिता कचरा डांगी के खाते दर्ज थी। उक्त भूमि के हाल आराजी संख्या 1494 रकबा 0.0400 हेक्टेयर, 1495 रकबा 0.1400 हेक्टेयर, 1497 रकबा 0.0800 हेक्टेयर, 1498 रकबा 0.1000 हेक्टेयर, 1499 रकबा 0.0700 हेक्टेयर, 1500 रकबा 0.0700 हेक्टेयर, 1501 रकबा 0.0700 हेक्टेयर, 1502 रकबा 0.0100 हेक्टेयर, 1504 रकबा 0.0600 हेक्टेयर, 1505 रकबा 0.1000 हेक्टेयर, 1506 रकबा 0.1100 हेक्टेयर है। इस प्रकार साबिक आराजी संख्या 568 रकबा 0.9830 हेक्टेयर के मुकाबले हाल पेमाईश का दर्ज रकबा 0.8800 जो साबिक के मुकाबले 0.1030 लगभग 0.1100 हेक्टेयर भूमि कम दर्ज हुई, जिसे लेकर अपीलार्थीगण ने न्यायालय सहायक कलक्टर सराड़ा मे दिनांक 30.09.2016 को वाद बाबत

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.11.26 15:51:24 IST
Reason: SelfAttested

घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर दिया था। उक्त वाद मे प्रतिवादी संख्या 5 के रूप मे तहसीलदार सराड़ा भी पक्षकार है तथा उक्त वाद मे साबिक हाल मिलान से कमी दर्ज रकबा 0.1100 हेक्टेयर भूमि वर्तमान मे नवसृजित आराजी संख्या 1960/1567 भूमि से बनना बता दिया है। मामले मे तहसीलदार सराड़ा द्वारा नाजायज कब्जे का सूचना पत्र प्राप्त होने पर अपीलान्ट्स को दिनांक 08.08.2016 को उक्त जानकारी हुई। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सराड़ा द्वारा दिनांक 17.07.2019 को नोटिस जारी कर वादग्रस्त आराजी संख्या 1960/1567 रकबा 0.1100 हेक्टेयर भूमि पर धारा 91, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी एवं प्रथम सुनवाई तिथि 24.07.2019 को ही अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना बेदखली का आदेश पारित कर दिया एवं अपीलान्ट्स की फसल जबरन नष्ट कर दी। तहसीलदार द्वारा जारी आदेश विधि विरूद्ध होने से अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर आक्षेपित दिनांक 24.07.2019 को निरस्त किया जावे तथा वादग्रस्त आराजी संख्या 1960/1567 रकबा 0.1100 हेक्टेयर भूमि के संबध मे न्यायालय सहायक कलक्टर सराड़ा मे विचाराधीन प्रकरण संख्या 15/2017 मे निर्णय तक कब्जा अपीलान्ट्स बहाल रखाया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कल्पित जैन राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई एवं पृथक से जवाब प्रस्तुत न कर सीधे बहस हेतु अनुरोध किया। प्रकरण मे अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सराड़ा द्वारा मामले मे प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की गई। प्रकरण मे बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुये। बहस प्रारम्भ करते हुये अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं मौजा बाणा कला, तहसील सराड़ा की साबिक आराजी संख्या 568 के हाल नंबर मे लगभग 0.1100 हेक्टेयर भूमि का रकबा कम दर्ज होना, अपीलान्ट्स द्वारा सहायक कलक्टर सराड़ा मे घोषणा का वाद दर्ज हो पेडिंग होना, सेटलमेन्ट विभाग की त्रुटि होना, अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर न दिया जाना आदि आधारो पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सराड़ा द्वारा पारित निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताया एवं उक्त आदेश को निरस्त करने की मांग की।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे भाग लेते हुये अनुरोध किया कि आराजी संख्या 1960/1567 रकबा 0.1100 हेक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड मे बिलानाम रास्ता दर्ज है एवं बिलानाम रास्ता भूमि पर अपीलान्ट्स द्वारा अवेध रूप से अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण संख्या 01/2019 दिनांक 12.07.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 24.07.2019 को नियमानुसार कब्जा हटाने का आदेश पारित किया है। वर्तमान मे निर्णय अनुसार भूमि पर अतिक्रमण को हटाकर रास्ते की भूमि पर वर्तमान मे आवागमन चालू हो चुका है। तहसीलदार द्वारा मामले मे की गई कार्यवाही नियमानुसार है। अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.11.26 15:51:24 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध अपीलान्ट्स की अपील, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की सत्यापित प्रति आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया। पत्रावली के गंभीरता पूर्वक अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रकरण मौजा बाणा कला, तहसील सराड़ा की बिलानाम आराजी संख्या 1960/1567 किस्म रास्ता मे रकबा 0.1100 हेक्टेयर भूमि पर अपीलान्ट्स द्वारा अवेध रूप से अतिक्रमण करने से संबंधित है। मामले मे तहसीलदार द्वारा नियमानुसार प्रकरण संख्या 01/2019 पंजीबद्ध कर बाद सुनवाई दिनांक 24.07.2019 को अपीलान्ट्स को मौके से बेदखल करने के आदेश प्रदान किये है। अपीलान्ट्स का कथन है कि उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि अतिक्रमियों को जारी नोटिस दिनांक 12.07.2019 को उनके द्वारा लेने से इंकार करने से दिनांक 24.07.2019 को सुनवाई का एक अवसर और प्रदान किया गया। नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने के उपरान्त भी अपीलान्ट्स के अनुपस्थित रहने से नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर तहसीलदार सराड़ा द्वारा अपीलान्ट्स को मौके से बेदखल करने के आदेश पारित किये गये है। अपीलान्ट्स द्वारा साबिक रकबे के मुकाबले हाल रकबा कम दर्ज होना अपनी अपील मे अवगत कराया है, किन्तु इसकी पुष्टि स्वरूप न तो मिलान खसरे की प्रति या अन्य दस्तावेज उनके द्वारा प्रस्तुत नही किया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि सेटलमेन्ट विभाग की गलती से साबिक के मुकाबले हाल रकबा कम दर्ज हुआ हो। अपीलान्ट्स द्वारा सेटलमेन्ट से पूर्व भूमि अपीलान्ट्स के पूर्वाधिकारी के खाते दर्ज होना एवं सेटलमेन्ट के दौरान भूमि का रकबा कम होने का उल्लेख किया है एवं इस बाबत वाद अतंर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं अतंर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का सहायक कलक्टर सराड़ा मे लंबित होना अवगत कराया है। इस संबंध मे अग्रिम निर्णय भी सहायक कलक्टर सराड़ा द्वारा ही पारित किया जाना है। मामले मे यह स्पष्ट है कि वक्त अवेध कब्जे की कार्यवाही भूमि की किस्म बिलानाम रास्ता थी एवं बिलानाम रास्ते की भूमि पर तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही नियमानुसार है। इस प्रकार प्रकरण मे तहसीलदार सराड़ा द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया नियमानुसार है, जिसमे किसी प्रकार हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अतः अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सराड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 01/2019 मे पारित निर्णय दिनांक 24.07.2019 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.11.26 15:51:24 IST
Reason: SelfAttested